73/06 बजरंग लाल / गिरधारी लाल वगैरा

दिनांक	आज्ञा पत्र	
13-9-18	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के [illegible] नोटिस पेश करें अन्यथा [illegible] तिथि पर [illegible] 9 बजे 5 [illegible] की जावेगी। [illegible] / जब्त किया जाय [illegible] 27-9-18 को पेश हो। पत्रावली [illegible] स्थगन है तो उसे आगामी [illegible]	
27-9-18	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलांट/रेस्पो. [illegible] पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश [illegible] पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 25-10-18 को पेश हो।	
25-10-18	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलांट/रेस्पो. उपस्थित। पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश [illegible] 27-10-18 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 27-11-18 को पेश हो।	
27/11/18	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट एवं अपीलांट स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सायंकाल 6 बजे तक बार बार दिलाई गई । इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलांट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया । प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो। 27/XI/18 भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official